झारखण्ड विधान-सभा

झारखण्ड मोटरवाहन करारोपण (संशोधन) विधेयक, 2011

[सभा द्वारा यथापारित]

सत्यमेव जयते

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

झारखण्ड मोटरवाहन करारोपण (संशोधन) विधेयक, 2011

[सभा द्वारा यथापारित]

विषय सूची

खण्ड ।

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ ।
2. झारखण्ड मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 2001 की धारा–2 (छ) का प्रतिस्थापन ।
3. झारखण्ड मोटरवाहन करारोपण अधिनियम 2001 की धारा 5 का संशोधन ।
4. झारखण्ड मोटर करारोपण अधिनियम 2001 की धारा 7 की अनुसूची का प्रतिस्थापन ।
5. झारखण्ड मोटरवाहन करारोपण अधिनियम 2001 की धारा–7(3) में अन्तःस्थापन ।
6. झारखण्ड मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 2001 की धारा–14 में अन्तःस्थापन ।
7. झारखण्ड मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 2001 की धारा 21 में संयोजन ।
8. झारखण्ड मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 2001 की धारा 22 में अन्तःस्थापन ।

झारखंड मोटरवाहन करारोपण (संशोधन) विधेयक, 2011

[सभा द्वारा यथापारित]

झारखण्ड राज्य में झारखण्ड मोटरवाहन करारोपण अधिनियम 2001 में संशोधन करने हेतु विधेयक ।

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ । –**

i) यह विधेयक झारखण्ड मोटरवाहन करारोपण (संशोधन) विधेयक 2011 कहा जा सकेगा ।

ii) इसका विस्तार संपूर्ण झारखंड राज्य में होगा।

iii) यह झारखंड राज्य गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत माना जायेगा।

2. **झारखण्ड मोटरवाहन करारोपण अधिनियम 2001 की धारा–2 की उपधारा 2(छ) का प्रतिस्थापन । –**

झारखण्ड मोटरवाहन करारोपण अधिनियम 2001 की धारा – 2 की उपधारा 2(छ) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित की जायेगी ।

"निजी या वैयक्तिक वाहन से अभिप्रेत वैसे सभी मोटरवाहन (मोपेड, स्कुटर, मोटरसाइकिल इत्यादि) मोटरकार, ओमनी बस या स्टेशन वैगन (4 सीट से 10 सीट बैठने की क्षमता का ड्राइवर सहित) जिनका केवल निजी कार्यो में प्रयोग किया जाता है। "

3. **झारखण्ड मोटरवाहन करारोपण अधिनियम 2001 की धारा 5 का संशोधन । –**

(क) झारखण्ड मोटरवाहन करारोपण अधिनियम 2001 की धारा–5 की उपधारा–3 का प्रतिस्थापन । –

झारखण्ड मोटरवाहन करारोपण अधिनियम 2001 की धारा–5 की उपधारा – 3 को परन्तुक सहित निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

"इन प्रावधानो के तहत राज्य सरकार अधिसूचना के माध्यम से समय–समय पर अनुसूची में वर्णित कर प्रावधानों में वृद्धि कर सकेगी ।"

(ख) झारखंड मोटरवाहन करारोपण अधिनियम 2001 की धारा–5 में नयी उपधारा–5(4) का अंतःस्थापन –

झारखंड मोटरवाहन करारोपण अधिनियम 2001 की धारा–5 की उपधारा–5(3) के पश्चात् नयी उपधारा 5(4) निम्नलिखित रुप से अंतःस्थापित की जायेगी –

"5(4) – किसी भी वाहन पर लगने वाला कर, फिटनेश एवं वैध परमिट नहीं रहने की अवस्था में डिफॉल्ट की तिथि से अर्थदण्ड सहित उसी दर से देय होगा जैसा कि वैध फिटनेश एवं परमिट रहने पर देय होता । "

4. **झारखण्ड मोटर करारोपण अधिनियम, 2001 की धारा 7 की अनुसूची का प्रतिस्थापन।–** झारखण्ड मोटर करारोपण अधिनियम 2001 की धारा–7 की उपधारा(1) के अन्तर्गत अनुसूची –I 'क' को प्रस्तुत अनुसूची–I 'क' से प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

5. **झारखंड मोटरवाहन करारोपण अधिनियम 2001 की धारा–7(3) में नये परन्तुक का अंतःस्थापन ।–** झारखंड मोटरवाहन करारोपण अधिनियम 2001 की धारा–7(3) में नया परन्तुक निम्नलिखित रुप से अंतःस्थापित किया जायेगा ।

"परन्तु प्रत्येक परिवहन वाहन (मालवाहक एवं मोटरकैब को छोड़कर) के मोटरवाहन कर एवं अतिरिक्त कर की गणना, व्हील बेस पर आधारित निम्नलिखित तालिका के अनुसार स्तम्भ – 2, 3, 4, 5 एवं 6 में अंकित सीटो की संख्या पर की जायेगी ।

व्हील बेस (इंच में)	सीटों की न्यूनतम संख्या				
	साधारण बस	द्रुतगामी बस	सेमी डीलक्स बस	डीलक्स बस	ए.सी.डीलक्स बस
1	2	3	4	5	6
228	61	58	49	41	41
216	55	52	44	37	37
210	54	51	43	36	36
206	53	50	42	35	35
205	53	50	42	35	35
204	53	50	42	35	35
203	53	50	42	35	35
190	48	46	38	32	32
180	40	38	32	27	27
179	38	36	30	25	25
176	37	35	30	25	25
167	33	31	26	22	22
166	33	31	26	22	22
165	33	31	26	22	22
163	32	30	26	21	21
143	28	27	22	19	19
142	25	24	20	17	17

यात्री सुविधा और बसों की आयु के अनुसार 'एक्सप्रेस बस', 'सेमी डीलक्स बस', 'डीलक्स बस' एवं 'ए0सी0 डीलक्स बस' के रूप में श्रेर्णीकृत किया जायेगा ।"

6. **झारखंड मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 2001 की धारा–14 में नये परन्तुकों का अंतःस्थापन ।** –

झारखंड मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 2001 की धारा–14 में दो नये परन्तुक निम्नलिखित तरह से अंतःस्थापित किये जायेंगे –

"परन्तु यह कि वैसे मोटरवाहन जो अन्य राज्य में निबंधित है तथा जिनके वाहन मालिक द्वारा झारखंड राज्य में परिचालन किया जा रहा है, यदि बिना वैध कर भुगतान/परमिट के पाये जाते हैं तो उक्त वाहनों के लिए परिचालन अवधि, पाये जाने की तिथि से पूर्व न्यूनतम 17 सप्ताह मानी जायेगी (चाहे उक्त वाहन का परिचालन उससे कम अवधि में हुआ हो) तथा उक्त वाहनों पर इस अधिनियम की धारा–7 की उपधारा–5 (अधिनियम की धारा–14 के साथ पठित) में निर्दिष्ट दरों के आधार पर न्यूनतम 17 सप्ताह के लिए आगणित होगी।"

"परन्तु यह कि संबंधित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारों द्वारा वैध अस्थायी परमिट की अवधि समाप्ति के पश्चात् पकड़े गये वाहनों पर देय राशि की गणना न्यूनतम एक सप्ताह एवं अधिकतम एक माह के लिए अस्थायी अनुज्ञप्ति अवधि के पश्चात् की जायेगी।"

7. **झारखंड मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 2001 की धारा–21 में उपधारा–21(क) एवं 21(ख) का प्रतिस्थापन ।** –

झारखंड मोटरवाहन करारोपण अधिनियम 2001 की धारा–21 में उपधारा–21(क) एवं 21(ख) निम्नलिखित रुप से प्रतिस्थापित की जायेगी –

"21(क) बकाया कर या अर्थ दंड की वसूली बकाया भू–राजस्व की वसूली की रीति से की जायेगी । जिस मोटर वाहन पर शास्ति या अर्थ दंड बकाया है, उस मोटर वाहन को या उसके उप–साधन को कुर्क किया जा सकता है या बेचा जा सकता है चाहे वह मोटर वाहन या उप–साधन कर, शास्ति या अर्थ दंड भुगतान के लिये जवाबदेह व्यक्ति के कब्जे या नियंत्रण में हो अथवा नहीं ।

21(ख) हर वाहन मालिक के लिए यह आवश्यक होगा कि वैसे वाहन (वाणिज्यिक या निजी उपयोग हेतु) जिनपर वार्षिक कर देय है, प्रयुक्त के निबंधन अथवा परमिट हेतु आवेदन के साथ अपना बैंक खाता विवरणी एवं संबंधित बैंक से इस आशय का प्रमाण–पत्र जमा करेंगे कि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, यह कि कर भुगतान में गड़बड़ी की स्थिति में कर संग्रहण पदाधिकारी अथवा अनुज्ञप्ति पदाधिकारी द्वारा इसे जब्त किया जा सकेगा।"

8. **झारखंड मोटरवाहन करारोपण अधिनियम 2001 की धारा 22 के उपधारा 22(2) के पश्चात् उपधारा–22(3) का अंतःस्थापन । –**

झारखंड मोटरवाहन करारोपण अधिनियम 2001 की धारा–22 की उपधारा–22(2) के पश्चात् उपधारा 22(3) निम्नलिखित रुप से अंतःस्थापित की जायेगी।

"22(3) – वाहनों पर बकाया कर, दंड अथवा दोनों के भुगतान नहीं होने की स्थिति में जब्त किये गये वाहनों को तभी छोड़ा जायेगा जब उक्त वाहन पर बकाया सभी करों एवं दंड का भुगतान किये जाने संबंधी प्रमाण–पत्र वाहन मालिक द्वारा प्रस्तुत किया जाय ।

अनुसूची – I 'क'

प्रस्तावित एक मुस्त कर की राशि जो मोटर साइकिल/मोटर साइकिल एसेसरिज सहित/मोटर कार/जीप/ओमनी बस जो निजी रूप में झारखण्ड राज्य में प्रयोग किये जायेंगे से वसूलनीय होगी :–

क्र. सं.	वाहन की आयु	मोटर साइकिल एसेसरिज के साथ/उनके बिना		कार/जीप/ओमनी बस, निजी प्रयोगार्थ चालक सहित 10 बैठान क्षमता तक		
		90 कि. ग्रा. से कम	90 कि. ग्रा. से अधिक	मोटर कार बैठान क्षमता 3 से अधिक परन्तु 5 व्यक्तियों तक	मोटर कार बैठान क्षमता 5 से अधिक परन्तु 8 व्यक्तियों तक	मोटर कार बैठान क्षमता 8 से अधिक परन्तु 10 व्यक्तियों तक
क	निबंधन के समय	रू० 1600/- या वाहन की कीमत का 3% जो दोनो में अधिक हो	रू० 1800/- या वाहन की कीमत का 3% जो दोनो में अधिक हो	रू० 9000/- या वाहन की कीमत का 3% जो दोनो में अधिक हो	रू० 20000/- या वाहन की कीमत का 4% प्रतिशत जो दोनो में अधिक हो	रू० 25000/- या वाहन की कीमत का 5% प्रतिशत जो दोनो में अधिक हो
ख	यदि वाहन पूर्व से निबंधित हो तथा उसकी आयु निबंधन की तिथि से निम्नवत् हो –	वाहन के मूल्य का	वाहन के मूल्य का	वाहन के मूल्य का	वाहन के मूल्य का	वाहन के मूल्य का
1	1 वर्ष से अधिक लेकिन 2 वर्ष से कम	2.8%	2.8%	2.8%	3.7%	4.7%
2	2 वर्ष से अधिक लेकिन 3 वर्ष से कम	2.6%	2.6%	2.6%	3.4%	4.4%
3	3 वर्ष से अधिक लेकिन 4 वर्ष से कम	2.4%	2.4%	2.4%	3.1%	4.1%
4	4 वर्ष से अधिक लेकिन 5 वर्ष से कम	2.2%	2.2%	2.2%	2.8%	3.8%
5	5 वर्ष से अधिक लेकिन 6 वर्ष से कम	2.0%	2.0%	2.0%	2.5%	3.5%
6	6 वर्ष से अधिक लेकिन 7 वर्ष से कम	1.8%	1.8%	1.8%	2.2%	3.2%
7	7 वर्ष से अधिक लेकिन 8 वर्ष से कम	1.6%	1.6%	1.6%	1.9%	2.9%
8	8 वर्ष से अधिक लेकिन 9 वर्ष से कम	1.4%	1.4%	1.4%	1.6%	2.6%
9	9 वर्ष से अधिक लेकिन 10 वर्ष से कम	1.2%	1.2%	1.2%	1.3%	2.3%
10	10 वर्ष से अधिक लेकिन 11 वर्ष से कम	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	2.0%
11	11 वर्ष से अधिक लेकिन 12 वर्ष से कम	0.8%	0.8%	0.8%	0.7%	1.7%
12	12 वर्ष से अधिक लेकिन 13 वर्ष से कम	0.6%	0.6%	0.6%	0.4%	1.4%
13	13 वर्ष से अधिक लेकिन 14 वर्ष से कम	0.4%	0.4%	0.4%	0.1%	1.1%
14	14 वर्ष से अधिक	0.2%	0.2%	0.2%	0.1%	0.8%

यह विधेयक झारखण्ड मोटरवाहन करारोपण (संशोधन) विधेयक, 2011 दिनांक 24 मार्च, 2011 को झारखण्ड विधान-सभा में उद्भूत हुआ और दिनांक 24 मार्च, 2011 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

यह एक धन विधेयक है ।

(चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह)
अध्यक्ष ।

झा०रा०मु०राँची (एल०ए०) 62--50--29-03-2011 ।